कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी सीहोर,जिला सीहोर

क्रमांक 10 / रीडर / 2021 सीहोर, दिनांक 3 / 02 / 2021

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल।

विषय :–भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 की अधिसूचना के प्रकाशन बाबत।

विषयांतर्गत रामगंज मंडी–भोपाल नई बी.जी.रेल परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि बाबत भू अर्जन प्रकरण क्रमांक1–9 / अ82 / 2016–17 द्वारा ग्राम–सोनकच्छ,झरखेड़ा,दोराहा, इमलिया–हसन, बिछिया, श्यामपुर, बैरागढ़खुमान, बमूलिया एवं सतपोन तहसील श्यामपुर, अनुभाग व जिला सीहोर के कृषकों की निजी भूमि के भू अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है,जिसके तारतम्य में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 में होना है।

अतः उक्त अधिसूचना की दो प्रति संलग्न भेजकर,अनुरोध है कि इसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग–1 में करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

अ.वि.अ. / भू अर्जन अधिकारी
सीहोर

पृ.क्रमांक 11 / रीडर / 2021 सीहोर, दिनांक 3 / 02 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. संचालक,जनसंपर्क,संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर, विषयांकित अधिसूचना की 5 प्रतियां संलग्न भेजकर,अनुरोध है कि इसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों में करवाकर,समाचार पत्र की प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार श्यामपुर की ओर विषयांकित अधिसूचना की 8 प्रतियां भेजकर लेख है कि इनका प्रकाशन, संबंधित ग्राम पंचायत,जनपद पंचायत,तहसील व कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कराया जाकर तामीली प्रतियां, अनुविभगीय अधिकारी बुधनी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी अधिकारी,एन.आई.सी.शाखा की ओर, अधिसूचना की प्रति भेजकर लेख है कि जिले की बेबसाईट पर इसका प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उप मुख्य अभियंता पश्चिम मध्य रेलवे कोटा(राजस्थान) की ओर सूचनार्थ।
5. उपपंजीयक सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अ.वि.अ. / भू अर्जन अधिकारी
सीहोर

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग जिला सीहोर

प्रारुप धारा 25

(भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)

सीहोर,दिनांक 2-2-2021

–:: अधिसूचना ::–

प्रकरण क्रमांक 1/अ 82/16–17, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत गया है कि है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा–19 की अधिसूचनाा का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 में दिनांक 23.3.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह् स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित एलाईमेंट का स्थल पर मीलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नहीं होने के कारण भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की गई थी,जिसकी समय सीमा दिनांक 22.3.2020 को समाप्त हो चुकी है। उक्त के तारतम्य में म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्रक्रमांक 111/1197/2020/सात–2/भोपाल, दिनांक 18.01.2021 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुक्रम में, भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में पुनः एक वर्ष (दिनांक 23.3.2020 से 22.3.2021 तक) की वृद्धि करता है–

–अनुसूची–

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	सोनकच्छ	14.786	रामगंज मण्डी–भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु
सीहोर	श्यामपुर	झरखेड़ा	25.938	
सीहोर	श्यामपुर	दोराहा	15.968	
सीहोर	श्यामपुर	इमलिया हसन	11.133	
सीहोर	श्यामपुर	बिछिया	11.686	
सीहोर	श्यामपुर	श्यामपुर	26.050	
सीहोर	श्यामपुर	बैरागढ़ खुमान	11.252	
सीहोर	श्यामपुर	बमूलिया	21.374	
सीहोर	श्यामपुर	सतपोन	1.445	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अजय गुप्ता)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र.शासन राजस्व विभाग जिला सीहोर

भू-अर्जन अधिकारी
तहसील-सीहोर

E:\desktop data\New folder\adhisuchana_4.doc